

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी

:: विविध-आदेश ::

31.12.2025

सीधी, दिनांक- /01/2026

क्रमांक-141/एक-5-3/88

मैं प्रयाग लाल दिनकर, प्रधान जिला न्यायाधीश सीधी, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिविल जिला सीधी के लिए इस संबंध में पूर्व के सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्न कार्य विभाजन पत्रक जारी करता हूँ, जो दिनांक 01/01/2026 से प्रभावशील होगा :-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
1	प्रधान जिला न्यायाधीश सीधी	सिविल जिला सीधी	1) समस्त व्यवहार वाद, जिनका मूल्य पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक हो। 2) समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें थाना कोतवाली एवं थाना जमोड़ी जिला सीधी तथा इन थानों की समस्त चौकी क्षेत्रों में :- 1. आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा 2. अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा 3. जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात् जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है। 3) सिविल जिला सीधी के मुख्यालय में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड एवं ग्राम न्यायाधिकारी के निर्णयों व आदेशों के विरुद्ध सभी नियमित एवं विविध सिविल अपीलें। 4) नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकाएं। 5) दीवानी प्रकरणों के अंतरण हेतु आवेदन। 6) परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के क्षेत्राधिकार संबंधी धारा 7 में उल्लिखित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण और आवेदन, जो सामान्य, स्थानीय और विशेष अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायाधीश की सुनवाई योग्य हों

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			व जिनके संबंध में अन्यत्र निर्देश न दिया गया हो। 7) उक्त सभी मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण। 8) मुकदमा पूर्व एवं लंबित मामलों में लोक अदालत द्वारा पारित कोई आदेश या पंचाट के निष्पादन के लिए आवेदन, जो लोक अदालत स्कीम, 1997 के अधीन जारी अनुदेश क्रमांक 5 अनुसार अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय को सौंपे जा सकेंगे। 9) सिविल जिला सीधी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत अधोसंरचनाओं से संबंधित संविदाओं तथा दावों का विचारण।
2	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी	सिविल जिला, सीधी	1. वे सभी सिविल प्रकरण, जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। 2. समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें थाना मझौली, अजाक, महिला पुलिस, यातायात पुलिस थाना तथा इन थानों की समस्त चौकी क्षेत्रों में :- 1. आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा 2. अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा 3. जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात् जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है। 3. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 से संबंधित प्रकरण। 4. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 51(1) एवं (2) के साथ पठित धारा 64 के अपनी क्षेत्राधिकारिता से संबंधित आवेदन एवं मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण। 6. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर समस्त Grant of

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			Probate and latters of aministration Act, 1977 से संबंधित सभी मामले। 7. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर उद्भूत होने वाले एक करोड़ से अधिक व पच्चीस करोड़ रुपये मूल्य तक के “Arbitration Act” से संबंधित सुनवाई योग्य समस्त मामले
3	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीधी	सिविल जिला, सीधी	1. वे सभी सिविल प्रकरण, जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। 2. समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें थाना चुरहट एवं कमर्जी तथा इन थानों की समस्त चौकी क्षेत्रों में :- 1. आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा 2. अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा 3. जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात् जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है। 3. एक करोड़ रुपये से अधिक व पच्चीस करोड़ रुपये मूल्य तक के समस्त दीवानी प्रकरण। 4. पांच सौ रु. से अधिक व एक हजार रु. तक के लघुवाद प्रकृति के सभी वाद। 5. दिवालिया अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी प्रकरण। 6. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139(5) तथा धारा 172 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण। 7. मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण। 9. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड चुरहट के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व आदेशों के विरुद्ध नियमित व विविध सिविल अपीलें। 10. प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के <u>प्रथम</u>

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
4	तृतीय जिला न्यायाधीश सीधी	सिविल जिला, सीधी	- वे सभी प्रकरण, जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। - समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें बहरी, तथा इन थानों की समस्त चौकी क्षेत्रों में :- - आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा - अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा - जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात् जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है। - व्यवहार न्यायालय मझौली एवं ग्राम न्यायालय मझौली के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित व विविध सिविल अपीलें। - म.प्र. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें। - उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण। - जिले के समस्त प्रकार के घातक दुर्घटना अधिनियम 1955 के अंतर्गत एवं उन मामलों से उद्भूत सभी प्रकार के निष्पादन प्रकरण। - हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन विचारणीय पारिवारिक विवादों के प्रकरण। - विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रकरण। - दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत गोदनामा बावत आवेदन-पत्र। - भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1968 के तहत प्रकरण - गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण। नोट- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा-7 से संबंधित तथा अन्य संबंधित प्रकरण जिसका उल्लेख वर्ष 2026 के कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।
		नगरपालिका क्षेत्र सीधी व रामपुर नैकिन को छोड़कर सीधी जिले की शेष सभी तहसीलों से उत्पन्न कौटुम्बिक मामले।	

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
5	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी	सिविल जिला, सीधी	- वे सभी सिविल प्रकरण, जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। - समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें भुईमाड़ तथा इन थानों की समस्त चौकी क्षेत्रों में :- - आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा - अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा - जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात् जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है। - उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
6	जिला न्यायाधीश रामपुर नैकिन श्रृंखला न्यायालय, जिला सीधी		- वे सभी सिविल प्रकरण, जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। - उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
7	प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, रामपुर नैकिन, जिला सीधी	तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी	- वे सभी सिविल प्रकरण, जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। - समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें थाना रामपुर नैकिन एवं उक्त थाने से संबंधित समस्त चौकी क्षेत्रों में :- - आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा - अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते हैं, या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं अथवा - जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात् जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है। - एक करोड़ रुपये से अधिक व पच्चीस करोड़ रुपये मूल्य तक के समस्त व्यवहार प्रकरण।

क. न्यायालय का नाम क्षेत्राधिकार

वादों का प्रकार

1

2

3

4

5. वे समस्त मूल सांपत्तिक वाद, नियमित व विविध सांपत्तिक अपीलें, प्रवर्तन प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किये जाये।
6. पांच सौ रु. से अधिक व एक हजार रु. तक के लघुवाद प्रकृति के सभी वाद।
7. दिवालिया अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी प्रकरण।
8. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139(5) तथा धारा 172 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।
9. मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
10. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड रामपुर नैकिन के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेशों के विरुद्ध नियमित व विविध दीवानी अपीलें।
11. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 से संबंधित प्रकरण।
12. तहसील रामपुर नैकिन से उत्पन्न भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 51(1) एवं (2) के साथ पठित धारा 64 के अपनी क्षेत्राधिकारिता से संबंधित आवेदन एवं मामले।
13. राजस्व तहसील रामपुर नैकिन के हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, हिन्दू सम्पत्ति व्ययन अधिनियम, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, मुस्लिम स्वीय (शरीयत) लागूकरण अधिनियम, भारतीय किश्चियन विवाह अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
14. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
15. तहसील रामपुर नैकिन के Grant of Probate and latters of aministration Act, 1977 से संबंधित सभी मामले।
16. तहसील रामपुर नैकिन से उद्भूत होने वाले एक करोड़ से अधिक व पच्चीस करोड़ रुपये मूल्य तक के "Arbitration Act" से संबंधित सुनवाई योग्य समस्त मामले।

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
		रामपुर नैकिन तहसील से उत्पन्न कौटुम्बिक मामले।	17. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन विचारणीय पारिवारिक विवादों के प्रकरण। 18. विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रकरण। 19. दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत गोदनामा बावत आवेदन-पत्र। 20. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1968 के तहत प्रकरण। 21. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीधी (रिक्त न्यायालय)		1. ऐसे समस्त सिविल प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
9	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी	तहसील गोपदबनास एवं बहरी	1. ऐसे समस्त सिविल प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. रुपये 500/- तक के लघुवाद प्रकरण। 4. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख/- रु. से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। 6. पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये से कम मूल्य के अपकृत्य विधि के प्रकरण। 7. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीधी के न्यायालय के द्वितीय अतिरि. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ	तहसील सिहावल	1. ऐसे समस्त सिविल प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. रुपये 500/- तक के लघुवाद प्रकरण। 4. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
	खण्ड, सीधी		लाख/— रु. से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद।
		जनपद पंचायत सीधी के ग्रामीण क्षेत्र	- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। - पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये से कम मूल्य के अपकृत्य विधि के प्रकरण। - म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। - ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित सिविल प्रकृति की कार्यवाही। - उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी	—	- ऐसे समस्त सिविल प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। - उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
12	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी,	तहसील—गोपदबनास	- ऐसे समस्त सिविल प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। - पांच लाख रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। - पांच लाख रुपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि से उत्पन्न मामले। - पांच लाख रुपये तक के भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत सिविल मामले। - उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
13	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी	तहसील सिहावल	- ऐसे समस्त प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। - पांच लाख रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। - पांच लाख रुपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि से उत्पन्न मामले। - पांच लाख रुपये तक के भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			के अंतर्गत सिविल मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
14	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सीधी	तहसील बहरी	1. ऐसे समस्त सिविल प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. पांच लाख रुपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि से उत्पन्न मामले। 4. पांच लाख रुपये तक के भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत सिविल मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड चुरहट	तहसील चुरहट	1. ऐसे समस्त सिविल प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. रुपये 500/— तक के लघुवाद प्रकरण। 4. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख/— रु. से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। 6. पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये से कम मूल्य के अपकृत्य विधि के प्रकरण। 7. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
16	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ	—	1. वे समस्त सिविल प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
	खण्ड, चुरहट		2. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
17	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चुरहट	तहसील चुरहट	1. वे समस्त सिविल प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रुपए मूल्य तक के सिविल वाद। 3. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रुपये मूल्य तक के वाद। 4. पांच लाख रुपए मूल्य तक के अपकृत्य विधि के मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
18	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चुरहट	—	1. वे समस्त सिविल प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
19	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रामपुर नैकिन,	तहसील रामपुर-नैकिन	1. वे समस्त सिविल प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. रुपये 500/— तक के लघुवाद प्रकरण। 4. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख/— रु. से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। 6. पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये से कम मूल्य के अपकृत्य विधि के तहत मामले। 7. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
20	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन	तहसील— रामपुर— नैकिन	- वे समस्त सिविल प्रकरण, जो समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। - पांच लाख रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। - भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रुपये मूल्य तक के वाद। - पांच लाख रुपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि के मामले। - उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
21	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मझौली	तहसील मझौली एवं कुसमी	- वे समस्त सिविल प्रकरण, जो समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। - पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। - भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख/— रु. से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। - पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि के तहत मामले। - क्षेत्राधिकारिता हेतु आबंटित तहसील के रु. 500/— तक के सभी लघुवाद। - म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। - भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। - ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित 25,000/— दीवानी प्रकृति के वाद एवं कार्यवाहियां जो जनपद पंचायत क्षेत्र मझौली से उत्पन्न हों। - उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
22	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मझौली, एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, मझौली	तहसील मझौली कुसमी तहसील मझौली के ग्रामीण क्षेत्र	- वे समस्त सिविल प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। - पांच लाख रुपये मूल्य तक के सिविल वाद। - भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रुपये मूल्य तक के वाद। - पांच लाख रुपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि के मामले। - ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित सिविल प्रकृति की कार्यवाही। - उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

64

(प्रयाग लाल दिनकर)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)

// आवश्यक आदेश व निर्देश //

- मुख्यालय सीधी में पदस्थ के जिला न्यायाधीशों / प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी / अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रिक्त न्यायालयों / अधिकरणों से उत्पन्न निष्पादन, विविध कार्यवाहियां तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्रतिप्रेषित रिक्त न्यायालयों के प्रकरणों में कार्यवाहियां प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा व उनका भी न्यायालय रिक्त होने पर आगे वर्णित प्रभार अनुसार की जावेंगी।
- तहसील चुरहट, रामपुर नैकिन, मझौली और सीधी के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण, विविध कार्यवाहियां तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्रतिप्रेषित रिक्त न्यायालयों के प्रकरणों में कार्यवाहियां संबंधित तहसील या जिले में कार्यरत वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय प्रथम सिविल जज वर्ग-1 से निम्नतर न्यायालय द्वारा की जावेगी व व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड का पद/न्यायालय रिक्त होने पर आगे वर्णित प्रभार अनुसार की जावेगी।
- तहसील चुरहट, रामपुर नैकिन, मझौली और सीधी के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण, विविध कार्यवाहियां तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्रतिप्रेषित रिक्त न्यायालयों के प्रकरणों में कार्यवाहियां उस तहसील/जिले में कार्यरत वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा की जावेगी व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड का पद/न्यायालय रिक्त होने पर आगे वर्णित प्रभार अनुसार की जावेगी।

4. श्रृंखला न्यायालय अवधि के उपरान्त जिला न्यायाधीश, तहसील रामपुर नैकिन के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित त्वरित प्रकृति के प्रकरणों एवं आवेदनों का निराकरण एवं श्रृंखला न्यायालय रिक्त होने की स्थिति में उस न्यायालय से संबंधित कार्यवाहियां जिला मुख्यालय सीधी में कार्यरत द्वितीय जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय द्वारा की जाएंगी।
5. जिला न्यायाधीश, तहसील रामपुर नैकिन के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित त्वरित प्रकृति के प्रकरणों एवं आवेदनों का निराकरण एवं न्यायालय रिक्त होने की स्थिति में उस न्यायालय से संबंधित कार्यवाहियां जिला मुख्यालय सीधी में कार्यरत द्वितीय जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय द्वारा की जाएंगी।
6. यदि कोई ऐसा मामला/आवेदन आदि पेश होता है, जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में न हो तो वह संबंधित जिले/ तहसील में उपस्थित वरिष्ठ जिला न्यायाधीश/ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, सुना व निराकृत किया जावेगा।

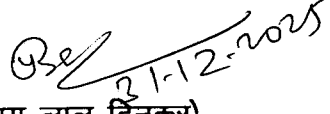
सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 21 (4) के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल कार्य के लिए पूर्व के आदेशों अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो आदेश 01/01/2026 से प्रभावशील होगा :-

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क. 3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
1.	प्रधान जिला न्यायाधीश, सीधी	द्वितीय जिला न्यायाधीश	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी
2.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी	प्रधान जिला न्यायाधीश, सीधी	द्वितीय जिला न्यायाधीश सीधी।
3.	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी	तृतीय जिला न्यायाधीश, सीधी	प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी
4.	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीधी	तृतीय जिला न्यायाधीश, सीधी
5.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीधी	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी
6.	तृतीय जिला न्यायाधीश, सीधी	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी	द्वितीय जिला न्यायाधीश सीधी
7.	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी	तृतीय जिला न्यायाधीश, सीधी.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीधी.
8.	प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश रामपुरनैकिन,	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीधी	तृतीय जिला न्यायाधीश, सीधी
9.	जिला न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय, रामपुरनैकिन,	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी	तृतीय जिला न्यायाधीश, सीधी

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क. 3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
10.	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी
11.	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी (रिक्त न्यायालय)	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज सीधी	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी
12	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड सीधी	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज सीधी	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड
13	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड सीधी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज सीधी	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड सीधी	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी
14	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी
15	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ, सीधी
16	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी,	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी
17	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी,	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी
18	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड चुरहट	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड चुरहट	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट
19.	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड चुरहट	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड चुरहट	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट
20.	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड चुरहट
21.	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड चुरहट
22.	सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन	सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट
23.	सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन	सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क्र. 3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
24.	सिविल जज वरिष्ठ खण्ड मझौली.	सिविल जज कनिष्ठ खण्ड मझौली	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी
25.	सिविल जज कनिष्ठ खण्ड मझौली एवं ग्राम न्यायाधिकारी मझौली.	सिविल जज वरिष्ठ खण्ड मझौली	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी

- नोट— (1) प्रथम एवं द्वितीय अधिकृत न्यायाधीशों की अनुपलब्धता की दशा में उस स्टेशन पर उपलब्ध वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश अथवा व्यवहार न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आवश्यक कार्य निपटाया जायेगा। द्वितीय कॉलम के न्यायाधीशों के प्रभार के अनुभागों का आवश्यक कार्य भी न्यायालयों के उक्त प्रभार अनुरूप ही प्रभारी जज द्वारा किया जावेगा।
- (2) बाह्य न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में पदस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश/ कनिष्ठ न्यायाधीश की अनुपलब्धता में मुख्यालय सीधी में वरिष्ठता के क्रम में न्यायाधीशों के प्रभार के अनुभागों का आवश्यक कार्य करेंगे।
- (3) बाह्य न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में पदस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश अनुभागों के प्रभारी होंगे जो कर्मचारियों का अवकाश/मुख्यालय से बाहर रहने बावत् स्वीकृति/अस्वीकृति व ड्यूटी लगाने का भी कार्य करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य वरिष्ठता के क्रम में उक्त प्रभार अनुरूप प्रभारी न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा।


 (प्रयाग लाल दिनकर)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 सीधी (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी

पृ. क्रमांक—3894/एक-5-3/88

सीधी, दिनांक-31/12/2025

प्रतिलिपि:—

1. प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला न्यायाधीश सीधी
2. प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सीधी
3. प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश रामपुरनैकिन
3. प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी
5. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड चुरहट
6. द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चुरहट
7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मझौली/रामपुर नैकिन
8. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मझौली/रामपुर नैकिन
9. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन
10. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश सीधी
11. जे.एस.ए. सीधी
12. पंजीयन लिपिक

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)